



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 फाल्गुन 1944 (श10)
(सं0 पटना 182) पटना, मंगलवार, 28 फरवरी, 2023

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना

28 फरवरी, 2023

अधिसूचना संख्या 03/2023-राज्य कर (दर)

एस० ओ० 110 दिनांक 28 फरवरी, 2023--बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (बिहार अधिनियम-12, 2017) की धारा 9 की उप धारा (1) और धारा 15 की उप धारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद द्वारा, वाणिज्य -कर विभाग की अधिसूचना संख्या 1/2017-राज्य-कर (दर), दिनांक 29 जून, 2017, जिसे बिहार गजट असाधारण अंक संख्या 544, दिनांक 29 जून, 2017 द्वारा प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करते हैं, यथा: -

उक्त अधिसूचना में,-

- (i) अनुसूची I- 2.5% में, क्रम संख्या 91 क के समक्ष, कॉलम (3) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा: -
“गन्ने के गुड़, पलमायरा गुड़सहित सभी प्रकार के गुड़, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल किये गए हों; खांडसारी शुगर, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो; राब, जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो”;
- (ii) अनुसूची II-6% में, क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी, अर्थात्: -

"186क	8214	पेंसिल शार्पनर्स ";
-------	------	---------------------

- (iii) अनुसूची III-9% में, क्रम संख्या 302क के सामने, कॉलम (3) में, अंत में, कोष्ठक और शब्द "[पेंसिल शार्पनर्स के अलावा]" अंतःस्थापित किए जाएंगे;

2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रभावी होगी।

[(सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14)03)],
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

28 फरवरी, 2023

एस० ओ० 110, दिनांक 28 फरवरी, 2023 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं०-बिक्री-कर/जीएसटी/विविध-21/2017(खंड-14)03)],
बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
डॉ० प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त-सह-सचिव।

The 28th February, 2023

Notification No. 03/2023- State Tax (Rate)

S.O. 110, Date The 28th February, 2023--In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 9 and sub-section (5) of section 15 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (Bihar Act 12, 2017), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Commercial Taxes Department notification No. 1/2017-State Tax (Rate), dated the 29th June, 2017 published in the Bihar Gazette, Extraordinary, vide number 544, dated the 29th June, 2017, namely:—

In the said notification, -

- in Schedule I -2.5%, against S. No. 91A, in column (3), for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
“Jaggery of all types including Cane Jaggery (gur), Palmyra Jaggery, pre-packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre-packaged and labelled; Rab, pre-packaged and labelled”;
- in Schedule II -6%, after S. No. 186 and entries relating thereto, the following S. No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
“186A	8214	Pencil sharpeners”;

- in Schedule III -9%, against S. No. 302A, in column (3), at the end, the brackets and words “[other than pencil sharpeners]” shall be inserted.

2. This notification shall come into force on the 1st day of March, 2023.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-14) 03)]

By the order of Governor of Bihar,

Dr. Pratima,

Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 182-571+10-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>